

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, लोहरदगा।

अनुमति वाद संख्या 155/2016-17

संशोधित आदेश

आवेदक श्री संजय कुजूर पिता स्व० जयघण्टा कुजूर साकिन जी०ई०एल० मिशन कम्पाउंड बाबू लेन चर्च रोड रॉची थाना रॉची जिला-रॉची के द्वारा सी०एन०टी०एक्ट की धारा 46 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया गया है कि उन्हें मौजा लोहरदगा के निम्नलिखित जमीन को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाय।

आवेदित भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना नं०	खाता संख्या	प्लॉट सं०	रकबा ए० में
लोहरदगा	लोहरदगा	194	375	863	0.45½

जमीन विक्रेता की विवरणी

नाम :- श्री संजय कुजूर
पिता/पति का नाम :- स्व० जयघण्टा कुजूर
पता :- जी०ई०एल० मिशन कम्पाउंड बाबू लेन चर्च रोड रॉची
पहचान संख्या :- आधार न० -288311195773

जमीन केता की विवरणी

नाम :- श्रीमती मेहरानी टोप्पो
पिता/पति का नाम :- अक्षय खेस्स
पता :- जी०ई०एल० मिशन आनन्दपुर
पहचान संख्या :- आधार न० - 428284226279

आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र को ग्रहण करते हुये संबंधित मौजा के नाम आम ईशितहार नोटिस जारी किया गया कि उक्त श्रीमती मेहरानी टोप्पो पति अक्षय खेस्स ग्राम- जी०ई०एल० मिशन आनन्दपुर थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा के साथ बिक्री करने के विरुद्ध यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति आवेदन पत्र न्यायालय में उपस्थित होकर दाखिल करें। साथ ही आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति भेजते हुये अंचल अधिकारी, लोहरदगा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार का कोई आपत्ति आवेदन पत्र दर्ज नहीं हुआ।



Meherani

अंचल अधिकारी, लोहरदगा ने अपने पत्रांक 1015 दिनांक 12.06.2017 एवं पत्रांक 324 दिनांक 24.02.2018 तथा पत्रांक 547 दिनांक 07.04.2018 के द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया है। अंचल अधिकारी, लोहरदगा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के पास 0.45½ ए० जमीन है। जमीन बिक्री करने बाद आवेदित खाता में 0.09 ए० जमीन बचता है। आवेदक मकान बनाने अन्य जरूरी कार्य हेतु जमीन बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक का खतियानी जमीन है। आवेदक खतियानी रैयत नहीं है। आवेदक खतियानी रैयत का पौत्र है। सरकारी रसीद नथनिएल एक्का पिता ईमानुएल एक्का वो शेवदोर कुजूर वगै० के नाम से कटती है। विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना-लोहरदगा के निवासी है। जमीन का श्रेणी टांड ॥ है।

इस क्रम में आवेदक का भी ब्यान लिया गया। आवेदक के द्वारा बतलाया गया कि मौजा लोहरदगा के अन्तर्गत खाता नं० 375 प्लॉट नं० 863 में से रकबा 0.36½ ए० जमीन को श्रीमती मेहरानी टोप्पो पति अक्षय खेस्स ग्राम- जी०ई०एल० मिशन आनन्दपुर थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा के साथ जमीन बिक्री कर रहे हैं। आवेदक मकान बनाने अन्य जरूरी कार्य हेतु जमीन बिक्री करना चाहते हैं। आवेदक का खतियानी जमीन है। आवेदक खतियानी रैयत नहीं है। आवेदक खतियानी रैयत का पौत्र है। सरकारी रसीद नथनिएल एक्का पिता ईमानुएल एक्का वो शेवदोर कुजूर वगै० के नाम से कटती है। जमीन आवेदक के दखल कब्जा में है। जमीन पर कोई विवाद नहीं है। जमीन बिक्री करने पर किसी का दबाव नहीं है एवं किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आवेदक के द्वारा ब्यान में बताया गया कि अंचल चंदवा मौजा मनातु खाता स० 09 रकबा 38.67 ए० जमीन है एवं संजय कुजूर के चाचा के द्वारा नेमस कुजूर, चोन्हस कुजूर एवं लोलस कुजूर पिता स्व० उरवानुस कुजूर का जनरल पावर आफ ऐटोरनी प्रस्तुत किया गया है तथा आवेदक के माँ प्रफुलित कुजूर पति स्व० जयघण्टा कुजूर ग्राम- जी०ई०एल० मिशन आनन्दपुर लोहरदगा के द्वारा पाँच पुत्रों का जनरल पावर आफ ऐटोरनी की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन एवं उनके द्वारा न्यायालय में दिये गये ब्यान एवं शपथ पत्र स० 7237 दिनांक 05.07.2017 तथा अंचल अधिकारी, लोहरदगा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं अनुशांसा के आधार मौजा लोहरदगा के अन्तर्गत खाता नं० 375 प्लॉट नं० 863 में से रकबा 0.36½ ए० जमीन को श्रीमती मेहरानी टोप्पो पति अक्षय खेस्स ग्राम- जी०ई०एल० मिशन आनन्दपुर थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा के साथ सी०एन०टी०एक्ट की धारा 46 के अन्तर्गत उनके निजी दायित्व पर बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, लोहरदगा एवं आवेदक को दी जाय।

लेखापित एवं शुद्धिकृत
भूमि सुधार एवं प्रमाहर्ता,
लोहरदगा।

भूमि सुधार एवं प्रमाहर्ता,
लोहरदगा।

ज्ञापांक 12(i) / दिनांक 9.4.18

प्रतिलिपि: जिला अवर निबंधक, लोहरदगा / श्री संजय कुजूर पिता स्व० जयघण्टा कुजूर साकिन जी०ई०एल० मिशन कम्पाउंड बाबू लेन चर्च रोड राँची थाना राँची जिला-राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

भूमि सुधार एवं प्रमाहर्ता,
लोहरदगा।